

**प्रपत्र VI 'क'**  
**झारखण्ड सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अर्जन निदेशालय)**

या  
**समाहर्ता या समुचित सरकार**  
**प्रारंभिक अधिसूचना**

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या :- 565/मू0अ0.

पलामू, दिनांक :- 16/9/2019

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-रेहलाकलां, थाना सं0-45, थाना-रेहलाकलां, अंचल-विश्रामपुर जिला-पलामू में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना 49.352 गढ़वा रोड़ स्टेशन तक R.O.R निर्माण हेतु अपेक्षित है।

प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-रेहलाकलां, थाना सं0-45, थाना-रेहलाकलां, अंचल-विश्रामपुर जिला-पलामू में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 7.5920 एकड़ यानी 3.0736 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

**ग्राम-रेहलाकलां, थाना सं0-45, कुल रकबा-7.5920 एकड़**

क्र० सं०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	122	रैयती	टांड दो	0.4685	सुरेश राम, राजू राम, सोनू राम, मुकेश राम, संतोष राम, व राहुल पिता नान्हु राम व शिव राम व शम्भु व बसंत राम पिता कुन्दन राम व संजय राम व अजय राम पिता दुखन राम एक अंश व संतोष राम व सुवास राम पिता रामचन्द्र राम, वच्चु राम, एजेन्द्र राम, गोपाल राम, नरेश राम, लक्ष्मण राम पिता नन्द देव राम व छोटु राम, कामेश्वर राम, बाबुलाल राम, जनेश्वर राम, महेन्द्र राम, पिता कईल राम	124	119	121	ROAD
2	10	122	रैयती	टांड तीन	0.1875	शेख इसलाम अंसारी शेख सोमारू, शेखजसमुदीन अंसारी वंगाली	124	119	121	ROAD
3	23	124	रैयती	टांड दो	0.3925	राकेश कुमार चौबे पिता आत्मा नन्द चौबे	125	122	121	ROAD
4	23	124	रैयती	टांड दो	0.7145	नन्हु राम, सुर्दशन राम, सुग्रीव राम पिता मंगरू राम	125	122	121	ROAD
5	5	125	रैयती	टांड दो	0.750	मो० हारुण व मो० जाहीद पिता रेयाज वेगाना	126	124	127	ROAD
6	5	126	रैयती	टांड तीन	0.039	मो० हारुण व मो० जाहीद पिता रेयाज वेगाना	CH NO.2	125	127	CH NO.2
7	36	131	रैयती	टांड तीन	0.064	उपेन्द्र दीक्षित, बलराम दीक्षित, रामकेश, रामप्रवेश व नारद दिक्षित पिता स्व० सहदेव दिक्षित	128	132	130	128
8	36	131	रैयती	टांड तीन	0.064	रथुनाथ चौधरी पिता शिव चौधरी	128	132	130	128
9	36	132	रैयती	टांड तीन	0.432	रथुनाथ चौधरी पिता शिव चौधरी	128	133	130	107

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

10	36	132	रैयती	टांड		उपेन्द्र दीक्षित, बलराम दीक्षित, रामकेश, रामप्रवेश व नारद दिक्षित पिता स्व० सहदेव दिक्षित	128	133	130	107
11	32	133	रैयती	टांड	0.260	नवल दिक्षित व नन्दकिशोर दिक्षित व हृदय दिक्षित पिता मुखराम दिक्षित	132	134	RAILWAY	107
12	15	2	बकास्त	टांड दो	0.320	आदित्य विरला केमीकल इन्डीया लिमिटेड	1	6	7	SABONA
13	15	2	बकास्त	टांड दो	2.218	मो० इल्यास पिता स्व० रेयाज वेगाना	1	6	7	SABONA
14	15	4	बकास्त	टांड दो	0.545	आदित्य विरला केमीकल इन्डीया लिमिटेड	2	10	2	3
15	15	4	बकास्त	टांड दो	0.480	मोहम्मद हारुण व मो० जाहीद वल्द स्व० रेयाज वेगाना	2	10	2	3
16	15	5	बकास्त	टांड दो	0.129	मोहम्मद हारुण व मो० जाहीद वल्द स्व० रेयाज वेगाना	2	2	2	4
17	15	5	बकास्त	टांड दो	0.120	आदित्य विरला केमीकल इन्डीया लिमिटेड	2	2	2	4
18	15	6	बकास्त	टांड दो	0.010	आदित्य विरला केमीकल इन्डीया लिमिटेड	2	2	2	2
19	5	10	रैयती	टांड तीन	0.178	जीरमनिया कुंवर व फुलमनिया कुंवर पति स्व० करीमन राम	4	11	124	RIVER

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पलामू के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पलामू और संबंधित राजस्व कर्मचारी अंचल विश्रामपुर को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इ अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में दिनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पलामू के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

16.9.19  
16/9/19

जिला कानूनगा भू-अर्जन पलामू।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पलामू।

16.9.19

अपर समाहर्ता पलामू।

उपायुक्त पलामू।